126 किमी0 ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIA) रिपोर्ट पर

दिनॉक 29.08.2016 को डॉ0 एस0के0 बरनवाल, अपर जिलाधिकारी , चमोली की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों व रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ 126 किमी0 ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण से जनपद चमोली के तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम भट्टनगर, कालेश्वर एवं तहसील पोखरी के अन्तर्गत ग्राम रानौं के प्रभावित काश्तकारों की प्रभावित होने वाली नाप भूमि के सम्बन्ध में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों,कास्तकारों व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति एवं जनसुनवाई का कार्यवृत्त।

उपस्थिति – उपस्थित सभी अधिकारियों / सदस्यों की सूची संलग्न है।

दिनॉक 29.08.2016 को उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में एवं उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग व पोखरी की उपस्थिति में भारत सरकार की ओर से रेल विकास निगम, ऋषिकेश द्वारा प्रस्तावित 126 किमी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन निर्माण हेतु सर्वेक्षण एजेन्सी से प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति (SIA) की रिपोर्ट के आधार पर जनपद चमोली की तहसील कर्णप्रयाग के ग्राम भट्टनगर, कालेश्वर तथा तहसील पोखरी के ग्राम रानौं के प्रभावित काश्तकारों की उपस्थिति में जन सुनवाई सम्पन्न हुई, जिसमें विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, चमोली द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित अधिकारियों, कास्तकारों, जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकार बन्दुओं का स्वागत करते हुए **श्री ओ0पी0मालगुडी, वरिष्ठ प्रबन्धक, रेल विकास निगम, ऋषिकेश** से प्रस्तावित रेल परियोजना से उत्तराखण्ड राज्य के पांच राज्यों में प्रभावित होने वाली वन भूमि, राज्य भूमि एवं नाप भूमि में निर्मित होने वाले पुल, सुरंग एवं स्टेशनों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को उपस्थित कास्तकार एवं जनप्रतिनिधियों के सम्मुख रखने की अपेक्षा गयी है और तत्पश्चात श्री मालगुडी, वरिष्ठ प्रबन्धक, रेल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित 126 किमी0 ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन परियोजना के सारबिन्दुओं को उपस्थित अधिकारियों, कास्तकारों एवं जनप्रतिनिधियो के सम्मुख विस्तारपूर्वक निम्नवत् रखा गया है :–

1. 126 किमी0 ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन निर्माण परियोजना का संक्षिप्त इतिहास व विवरण निम्नवत् है।
2. 1927 में सर्वे– छोटी लाईन(NG)बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था।
3. 1996–2000 में बड़ी लाईन (EG)सर्वे नार्दन रेलवे द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
4. भारतीय रेल द्वारा सितम्बर–2011 में रेल विकास निगम लि0 को दिनांक 05.9.2011 को विस्तृत सर्वे रिपोर्ट रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु अधिकृत की गयी।
5. उक्त रेल लाईन का संरेखण (78डिग्री 15'E/79डिग्री 15', 30डिग्री 5'N/30डिग्री 20'N,) के मध्य स्थित है।
6. 125.100 कि0मी0 रेल लाईन के संरेखण का पूरा क्षेत्र ऊंचे पर्वतों एवं गहरी खाईयों व घाटियों के कारण ऊबड़ खाबड़ है।
7. परियोजना क्षेत्र का ऋषिकेश से 400मी0 से कर्णप्रयाग तक समुद्र तल से 800मी0 तक एलीवेशन होगा।

क्रमशः –2 –

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

उप जिलाधिकारी
तहसील पोखरी

अपर जिलाधिकारी

8. भारत के साइजमिक मैप के अनुसार समस्त क्षेत्र IV– साइजमिक जोन के अन्तर्गत आता है।

9. राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किनारे सभी स्टेशन स्थित होंगे।

10. भू अधिग्रहण– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के तहत किया गया है।

11. वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत की गयी है।

12. निम्न तालिका के अनुसार रेल लाईन की लम्बाई गुजरना प्रस्तावित है:–

जनपद का नाम	देहरादून	टिहरी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	चमोली	कुल लम्बा0
रे0ला0ल0किमी0	5.971	50.029	32.090	24.700	12.310	125.100

13. मानकों के अनुसार वीरभद्र स्टेशन के अतिरिक्त 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं।

14. स्टेशन के निर्माण हेतु एप्रोचेबल एवं न्यूनतम 01 किमी0 लम्बा खुला स्थान आवश्यक है।

15. 10–15 किमी0 की दूरी पर रेलवे स्टेशन होना आवश्यक है।

16. ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन की मुख्य विशेषता यह है कि पूरी लाईन का 83.92% (104.990किमी0) 16 सुरंगों से होकर गुजरती है।

17. भूमि अधिग्रहण हेतु न्यूनतम क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

18. ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन के निर्माण हेतु 784.7601 है0 भूमि का प्रत्यावर्तन/अधिग्रहण प्रस्तावित है। इस भूमि पर रेलवे ट्रैक, भूमिगत सुरंग, पुल, स्टेशनयार्ड/स्टेशन बिल्डिग/प्लेट फार्म/ पहुंच मार्ग/मलवे निस्तारण/यात्रा सुविधा हेतु प्रस्तावित है। इसमें से 327.5683 है0 भूमिगत सुरंग निर्माण के लिये है। इस प्रकार केवल 457.1918 है0 भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा। जिसमें 169.514 है0 निजी नाप भूमि एवं 109.458 है0 उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व भूमि व 178.2218 है0 आरक्षित वन भूमि सम्मिलित है। आरक्षित वन भूमि में से 63.422 है0 देहरादून एवं 114.799 है0 टिहरी के प्रभावित हो रहे हैं।

19. वीरभद्र स्टेशन परियोजना का शुरूआती स्टेशन है, जिसके लिए 63.422 है0 आरक्षित वन भूमि प्रस्तावित की गयी है।

20. प्रस्तावित 169.514 है0 निजी नाप भूमि का अधिग्रहण में कुल 45 गांव सम्मिलित है, जो कि चार जनपदों टिहरी के–13 गांव, पौड़ी के–17 गांव रूद्रप्रयाग के–10 एवं चमोली के–05 गांव स्थित हैं।

21. इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में 11 स्टेशन हैं, जो 4 जनपदों के 07 तहसीलों के अन्तर्गत 169.151 है0 नाप भूमि व 104.152 है0 उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व भूमि तथा 5.695 है0 अन्य राजकीय विभागों लो0नि0वि0, खेल विभाग,तकनीकी विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग आदि की भूमि सम्मिलित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रमशः –3 –

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

उप जिलाधिकारी

अपर जिलाधिकारी
चमोली

जनपद	तहसील	ग्रामों की संख्या	नाप भूमि (है0में)	उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व भूमि (है0में)	अन्य राजकीय विभागों की भूमि (है0में)
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	4	9.745	7.701	–
	देवप्रयाग	9	49.915	13.209	0.265
पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी	3	4.337	11.528	0.432
	श्रीनगर	14	32.943	23.770	4.998
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	10	23.798	23.715	–
चमोली	कर्णप्रयाग	2	19.566	9.986	–
	पोखरी	3	28.837	14.243	–
कुल योग	7 तहसील	45	169.151	104.152	5.695

22. ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन के निर्माण हेतु पूर्व में उत्तर रेलवे द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 125.09 किमी0 हेतु 2010–2011 में भारत सरकार द्वारा रू0–4295.3 करोड़ स्वीकृत किया गया था।
23. सुरंगों की लम्बाई में वृद्धि होने के कारण परियोजना की लागत में रू0–16217 करोड़ की वृद्धि हुई है।
24. तकनीकी मानक के अनुसार 1676 मि0मी0 ब्रॉड गेज सिंगल लाईन है।
25. सवारी गाड़ी की अधिकतम गति 100 कि0मी0 प्रतिघंटा है।
26. मालगाड़ी की अधिकतम गति 60 कि0मी0 प्रतिघंटा है।
27. रेल लाईन में घुमावों की संख्या–50 है।
28. पुलों की सं0–16 है, सबसे लम्बे पुल की लम्बाई 500मीटर तक है।
29. ROB/RUB-02
30. 16 सुरंगे 83.92% (104.990किमी0) से होकर गुजरती है, जिसमें से देवप्रयाग से जनासू गंगा कासिंक के मध्य T8 में 15.1 कि0मी0 सुरंग लिंक होगी।
31. वीरभद्र सहित कुल 13 स्टेशन होंगे।
32. 04 जिलों के 28 प्रस्ताव अधिग्रहण के माह मई 2015 में प्रस्तुत किये गये।
33. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन सर्वे (SIA) में 18 लोग सम्मिलित थे।
34. तहसील कर्णप्रयाग के ग्राम भट्टनगर के 488 खसरे में 19.566 है0 भूमि प्रभावित हो रही है।
35. तहसील पोखरी के ग्राम रानों में 107 खसरे में 2.496 है0 भूमि प्रभावित हो रही है।
36. ग्राम सिवाई के 790 खसरे में 24.745 है0 भूमि प्रभावित हो रही है।
37. ग्राम लंगाली के 31 खसरे में 1.596 है0 भूमि प्रभावित हो रही है।
38. ग्राम कालेश्वर में केवल उत्तराखण्ड सरकार की 1.113 है0 भूमि प्रभावित हो रही है।

क्रमशः –4 –

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी

अपर जिलाधिकारी

39. जनपद चमोली में माह मई 2015 में भू अर्जन के प्रस्ताव प्राप्त हुए।
40. दिनांक 25.02.2016 को सामाजिक समाघात अध्ययन समिति का गठन किया गया।
41. दिनांक 23.04.2016 को अधिसूचना जारी की गयी।
42. दिनांक 24.04.2016 को समाचार पत्रों में अधिसूचना का प्रकाशन हुआ।
43. दिनांक 08 अगस्त–2016 को जनसुनवाई की अधिसूचना जारी की गयी।
44. दिनांक 08 अगस्त–2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ।
45. दिनांक 29.08.2016 को स्थान गौचर एवं दिनांक 30.08.2016 को स्थान सिवाई में जनसुनवाई की तिथि नियत की गयी है।

सारबिन्दुओं पर चर्चा के पश्चात् हे0न0बहु0, गढवाल विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र एवं समाज कार्य के शोध छात्र, जिनके द्वारा उक्त परियोजना के निर्माण हेतु तहसील कर्णप्रयाग के ग्राम भट्टनगर, कालेश्वर तथा तहसील पोखरी के ग्राम रानौं,लोदला सिवाई एवं लंगाली के प्रभावित कास्तकारों की नाप भूमि का सर्वेक्षण कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति (SIA) की रिपोर्ट तैयार की गयी है, के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिहं, शोध छात्र, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर द्वारा प्रभावित काश्तकारों को प्रस्तावित **परियोजना के निर्माण से पड़ने वाले प्रभाव, होने वाले लाभ एवं उन्हें दूर करने के उपायों** को विस्तृत रूप से उपस्थिति कास्तकारों एवं जनप्रतिनिधियों को बताया गया, जो निम्नवत् है। :–

(1) <u>ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावितों पर पड़ने प्रभावः–(समाघात)</u>

1. सामाजिक समाघात के दौरान प्रभावित क्षेत्र के परिवारों का मानना है कि रेलवे में उनकी भूमि जाने के कारण कृषि, जो कि उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, इससे उनके जीवन–यापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है।
2. सामाजिक समाघात के दौरान प्रभावितों का कहना है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों जैसे–जल, जंगल, जमीन, वायु पर परियोजना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
3. परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में परियोजना के निर्माण से प्राकृतिक जलस्त्रोत, पेयजल लाईनें, विद्यालय भवन, धार्मिक स्थल, सड़कें, खेल के मैदान, चारागाह पशुशाला, सिंचाई के साधन इत्यादि प्रभावित होंगे।
4. परियोजना निर्माण से जहां एक तरफ आवागन सुगम होगा, वहीं दूसरी तरफ इससे प्रभावितों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
5. परियोजना के पूर्ण के पश्चात् यहां पर प्रवासी कार्य शक्ति के आने से स्थानीय लोगों के रोजगार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
6. सुरंग आधारित परियोजना होने के कारण सुरंगों के निर्माण के दौरान निकलने वाले धूल, मिट्टी, कंकड़ पत्थर की उचित डम्पिंग जोन न बनने पर वहां के पर्यावरण पर नकरारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
7. परियोजना के निर्माण से सुरंग बनने की स्थिति में उनके ऊपर बसे गांवों में भू–धंसाव की स्थिति हो सकती है।
8. परियोजना के निर्माण से सुरंग बनने से यहां पर स्थित भू–जलस्रोत समाप्त हो सकते हैं।

क्रमशः –5 –

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

उप जिलाधिकारी
तहसील पोखरी

अपर जिलाधिकारी

9. परियोजना के निर्माण कार्य से निजी स्तर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत उनकी भूमि आने से भविष्य में उनकी जमीनों की कीमत बढेंगे, जिला प्रशासन को भू–माफियों की सक्रियता न होने की दशा में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता होगी।
10. जनपद चमोली भूगर्भिय दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है, जो कि जोन–5 में आता है, जिसमें भूकम्प जैसी आपदा आने की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं।

(2) <u>परियोजना से लाभः–</u>

1. वर्तमान में परियोजना भले ही आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक लाभकारी न हो, लेकिन भविष्य की दृष्टि से यह अधिक लाभकारी सिद्ध होगी।
2. परियोजना के पूर्ण होने से जहां एक ओर आवागमन सुगम एवं सुरक्षित होगा, वहीं दूसरी और रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय जनता के जीवन स्तर पर सुधार होगा।
3. पलायन को रोकने में भी यह परियोजना सहायक होगी।
4. सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से इस परियोजना का बहुत ही महत्व है, जिसकी लागत एवं लाभ के आधार पर आंकलन नहीं किया जा सकता है।
5. समाज एवं क्षेत्र के विकास के लिए सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस तरह की परियोजनाओं को लागू करें, जिससे कि क्षेत्र का समग्र विकास हो।
6. लोक हित एवं जनकल्याण के लिए इस तरह की परियोजना को प्रारम्भ करना आवश्यक है।
7. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित तीर्थ स्थलों, जिसमें चार धाम (यमनोत्री,गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम), हेमकुण्ड साहिब व फूलों की घाटी सम्मिलित हैं, तक पहुंच को सुगम बनाना, नये व्यापार केन्द्रों को जोड़ना और पिछड़े क्षेत्रों का विकास कर वहां रहने वाले निवासियों को सस्ती व कम समय लेने वाली अबाधित यातायात सुविधा उपलब्ध कराना परियोजना का उद्देश्य है।
8. वर्षा ऋतु में बार–बार होने वाले भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग अवरूद्ध होने से यातायात बाधित होने पर यह परियोजना उत्तम विकल्प सिद्ध होगा।
9. इसके अतिरिक्त इस रेल लिंक से साहसिक पर्यटन जैसे राफ्टिंग, ऐरो स्पोर्टस एवं स्कीइंग जैसे खेलों में भाग लेने हेतु पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना और वे कम व्यय कर, कम समय में सुगमता से आ जा सकेंगे।
10. बरसात के मौसम में अधिकांश सड़कें बन्द होने से आवश्यक मूलभूत वस्तुओं जैसे खाद्याय सामग्री, गैस, ईधन फल आदि की आपूर्ति बाधित हो जाती है, इस परियोजना के निर्माण से इस तरह की समस्याओं से निजात मिलेगी।

क्रमशः –6 –

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

उप जिलाधिकारी
तहसील पौखरी

अपर जिलाधिकारी
चमोली

(3) समाघात कमी करने के उपायः—

1. जिला प्रशासन एवं रेल विकास निगम प्रबन्धन को प्रभावितों के समक्ष आने वाली समस्या के आधार पर कहा जा सकता है कि जिन प्रभावित लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती—बाडी है, उनकी भूमि अधिग्रहण करने पर उनकी परियोजना में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाय एवं उनको उनकी भूमि का बाजार दर के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिये एवं परियोजना के निर्माण के पश्चात् उनको परियोजना निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में सम्मिलित करके उनके लिए रोजगार की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने की स्थिति में निर्माण के दौरान तकनीकी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए उनका अधिक से अधिक उपयोग करके स्थानीय स्तर पर वहां के स्थानीय संसाधनों जल, जगल, जमीन, वायु को सुरक्षित रखने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।
3. प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, सिंचाई विभाग, जल संस्थान विभाग, विद्युत विभाग, सड़क परिवहन विभाग, जिला विकास विभाग, जिला चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि द्वारा कार्य किया जाना आवश्यक है।
4. इन विभागों के द्वारा सभी तकनीकी पहलूओं को ध्यान में रखकर विभाग की दृष्टि से प्रबन्धन योजना बनाई जाय।
5. परियोजना से सम्बन्धित हुए नुकसान की भरपाई हेतु विभिन्न विभागों द्वारा इस हेतु कार्य योजना तैयार करते हुए परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए।
6. परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वप्रथम परियोजना के दौरान हुए नुकसान का आंकलन पश्चात् उस क्षेत्र में परियोजना प्रस्ताव के अनुसार निर्माण कार्य किया जायेगा और उससे सम्बन्धित विभागीय सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जिलाधिकारी महोदय को बचनबद्धता लेनी होगी।
7. रेल विकास निगम अपने परियोजना के डी0पी0आर0 बनाते समय समस्त समाघात निर्वारण उपायों को शामिल करेगा।
8. परियोजना प्रस्तावित क्षेत्रों में परियोजना निर्माण के दौरान ही जहां पर कार्य किए जाने हैं, वहां पर कचरा प्रबन्धन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे स्वच्छता एवं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके।
9. इसके अतिरिक्त सुरंग निर्माण के दौरान तकनीकी पक्ष को इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि ऐसे बिस्फोटक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए कि जिससे कम से कम नुकसान और तकनीकी तौर पर नवीनतम तकनीक पर आधारित मशीनों का उपयोग करते हुए अधिक नुकसान से बचने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

क्रमशः —7 —

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

उप जिलाधिकारी
तहसील पोखरी

अपर जिलाधिकारी
चमोली

10. परियोजना पर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसके लिए तकनीकी प्रबन्धन का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

इसके पश्चात् अपर जिलाधिकारी, चमोली ने **जन सुनवाई** में परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों के जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित प्रभावित काश्तकारों को अपनी – अपनी समस्याओं को उपस्थित अधिकारियों के सम्मुख रखे जाने की अपेक्षा की गयी है, जो निम्नवत् इस प्रकार से हैं:–

1. सर्व प्रथम **श्री ताजवर सिहं कनवासी, सभासद, नगरपालिका परिषद गौचर** द्वारा समस्त ग्रामवासी भटटनगर – गौचर की ओर से प्रस्तावित रेल परियोजना के सम्बन्ध में निम्नवत् समस्यायें रखी गयी :–

1– गौचर क्षेत्र के अन्तर्गत सबसे ज्यादा प्रभावित भट्टनगर गांव हो रहा है, जिसमें अधिकतर परिवार भूमिहीन हो रहे हैं, केवल कतिपय मकान ही शेष बच रहे हैं।

2– मरघट, पनघट, मन्दिर एवं गौचर भूमि आदि सभी सामूहिक स्थल भी प्रभावित हो रहे हैं।

3– अन्य बची जमीन पर भी कास्तकारों के लिए समस्या उत्पन्न हो गयी है।

मॉगे:–

1– गौचर क्षेत्र में सर्किल रेट की उच्चतर दर से चार गुना अधिक मुआवजा दिया जाय।

2– प्रभावित हो रहे कास्तकारों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी दी जाय।

3– रेल परियोजना निर्माण से स्थानीय स्तर का, जो रोजगार होगा, वह प्रभावित परिवारों को दिया जाय।

4– चूँकि रेल परियोजना से हमारी खेती–बाड़ी समाप्त हो रही है, हमें भट्टनगर क्षेत्र में रोजगार हेतु टिपान, चुगान / खनन की अनुमति प्रदान की जाय।

5– रेलवे विभाग की ओर से सामाजिक विकास के लिए स्थान गौचर में कोई बड़ी संस्थान (इंस्टीट्यूट) खोला जाय।

6– मुआवजे के रूप में मिलने वाली राशि को कर मुक्त रखा जाय।

7– रेलवे लाईन / स्टेशन के लिए आवश्यकतानुसार न्यूनतम भूमि ही ली जाय।

8– प्रभावित परिवारों का चयन नगरपालिका गौचर के परिवार की नकल एवं राशन कार्ड के आधार पर किया जाय, क्योंकि भूमि अभी पैतृक नाम से अंकित है, जबकि उनके वर्तमान समय में अलग – अलग परिवार बन चुके हैं।

9– जो परिवार भूमिहीन एवं भवनहीन हो रहे हैं, उनके विस्थापन हेतु गौचर क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि आवंटित की जाय।

10– जो भूमि, सामूहिक रूप से हकहकूकधारी गांव की है, उसका मुआवजा उसी गांव को दिया जाय।

11– सार्वजनिक स्थल, जैसे मन्दिर, पनघट, मरघट, खेल मैदान आदि का यथा स्थान पर पुर्नस्थापना की जाय।

क्रमशः –8 –

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

उप जिलाधिकारी
तहसील पोखरी

अपर जिलाधिकारी
चमोली

12— जो भूमि / भवन आंशिक रूप से प्रभावित हो रही है, उसे पूरा लिया जाय एवं 70 प्रतिशत से अधिक, जो खेत जा रहे हैं, उसे पूरा लिया जाय।

13— वन पंचायत की भूमि के अन्तर्गत फलदार वृक्ष एवं इमारती पेड़ का मुआवजा वन पंचायत भट्टनगर को दिया जाय।

2. जनसुनवाई के दौरान **श्रीमती जशोदा देवी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्या** द्वारा तहसील पोखरी के अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित ग्राम रानौं के जनप्रतिनिधियों की ओर से अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है, जो इस प्रकार से है :—

ग्राम रानौं, पटवारी वृत्त बमोथ, तहसील जिलासू, विकास खण्ड पोखरी, जिला चमोली, उत्तराखण्ड वालों की भूमि ऋषिकेश — कर्णप्रयाग रेल लाईन निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जानी प्रस्तावित है। ग्राम रानौं की अधिग्रहण की जानी वाली भूमि, जो कि अत्यधिक उपजाऊ एवं सिंचित भूमि है और इस भूमि से ही अधिकतर बेरोजगार काश्तकारों के परिवार पल रहे हैं, इसलिए ग्राम रानौं के प्रभावित काश्तकारों के प्रभावित परिवारों के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी में रखने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जाय और अधिग्रहीत की जाने वाली सिंचित एवं उपजाऊ भूमि का प्रतिकर मुआवजा, जिस रेट से गौचर — भट्टनगर में दिया जा रहा है, उसी के अनुरूप दिया जाय, क्योंकि भट्टनगर तथा रानों की भूमि समानान्तर पर है एवं एक अलकनन्दा नदी की उस पार एवं दूसरी अलकनन्दा नदी के इस पार स्थित है।

3. श्री गजेन्द्र सिहं अध्यक्ष, भटटनगर ग्राम समिति द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित प्रशासन तथा रेल विकास निगम के अधिकारियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया है कि इस रेल परियोजना का सामारिक दृष्टि, देशहित एवं जनहित मे निर्माण कार्य किया जाना अति आवश्यक है, किन्तु परियोजना से प्रभावित काश्तकारों का प्रतिकर भुगतान वर्तमान में प्रचलित बाजार दर अथवा सर्किल दर के 04 गुना के हिसाब से किया जाय, साथ ही परियोजना से प्रभावित काश्तकारों के परिवारों के बेरोजगार युवकों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रेलवे तथा सरकारी विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान किये जायं। श्री गजेन्द्र सिहं द्वारा यह भी तथ्य संज्ञान में लाया गया कि जिन काश्तकारों की भूमि/भवन का आधा हिस्सा रेल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित परियोजना के लिए अधिगृहीत की जा रही है, उनके पूरे भूमि/भवन का अधिग्रहण कर उचित प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जाय । प्रभावित काश्तकारों को मिलने वाले प्रतिकर पर किसी प्रकार का टैक्स/कर न लिया जाय, इससे कर मुक्त रखे जाने का निवेदन किया गया।

अध्यक्ष, भट्टनगर ग्राम समिति द्वारा रेल विकास निगम के सम्मुख यह भी मांग रखी गयी कि परियोजना से प्रभावित स्थानीय प्राचीन धरोहर मन्दिर, पनघट, मरघट, जो कि क्षेत्रीय जनता की आस्था से जुड़े हुए हैं, का रेल निर्माण से पूर्व अन्यत्र स्थान पर पुर्नस्थापित किये जाय और यदि इस प्रकार रेल विकास निगम द्वारा क्षेत्रीय जनता की उल्लिखित मांगों पर कार्यवाही की जाती है तो परियोजना के निर्माण में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया जायेगा और रेल निर्माण हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

4. श्री हरीश चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत, कालेश्वर द्वारा उपस्थित स्थानीय प्रशासन, रेल विकास निगम के अधिकारियों का इस जनसुनवाई को आयोजित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रेल विकास निगम के अधिकारियों से मांग की गयी है कि जनपद चमोली, जो कि भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन के अन्तर्गत आता है तथा चिन्हित क्षेत्रों की गहनता से जांच की जाय और निर्मित की जाने वाली रेल सुरंगों को भूकम्परोधी बनाया जाय।

क्रमशः —9 —

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

उप जिलाधिकारी

जिलाधिकारी

श्री चौहान द्वारा रेल विकास निगम के अधिकारियों को आश्वस्त किया गया है कि यह प्रस्तावित परियोजना, जो कि सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण परियोजना है, को राष्ट्रहित को देखते हुए बनाना अच्छा कार्य है, जिसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना का निर्माण कार्य सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से किया जाय और स्थानीय प्रभावित कास्तकारों के हितों का ध्यान रखा जाय।

5. श्री यूसित पुरोहित, जनप्रतिनिधि कालेश्वर द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं रेल विकास निगम के अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि स्थानीय कास्तकारों को विश्वास में लेते हुए ही परियोजना का निर्माण कार्य किया जाय। श्री पुरोहित द्वारा यह मांग की गयी कि रेलवे विकास निगम को परियोजना के निर्माण हेतु जितनी भूमि की आवश्यकता है, उतनी ही भूमि का अधिग्रहण किया जाय।

प्रभावित कास्तकारों को अधिगृहीत भूमि के बदले जो प्रतिकर की धनराशि दी जायेगी, उसे कर रहित दिये जाने की व्यवस्था की जाय। प्रभावित कास्तकारों की अधिगृहीत भूमि को कब्जे में लेने से पूर्व कास्तकारों को पर्याप्त समय दिया जाय, जिससे प्रभावित कास्तकार अपने विस्थापन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें और इस परियोजना के निर्माण में स्थानीय कास्तकारों द्वारा कोई विरोध नहीं किया जायेगा, के साथ ही उपस्थित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

6. श्री कुन्दन सिंह भण्डारी, ग्राम रानौं द्वारा परियोजना की जनसुनवाई में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का आभार जताते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित जनसुनवाई क्षेत्रीय जनता के लिए हर्ष की बात है। श्री भण्डारी द्वारा बताया गया कि निर्माणाधीन पीएमजीएसवाई मोटर मार्ग के प्रभावित कास्तकारों को विभाग द्वारा अभी तक क्षतिपूर्ति मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही कि वर्षात के समय मोटर मार्ग से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है। श्री भण्डारी द्वारा तत्काल उचित प्रतिकर भुगतान किये जाने की मांग की गयी।

श्री भण्डारी द्वारा अवगत कराया गया कि पहाड़ के लोगों के आय का मुख्य साधन उनकी कृषि भूमि है और परियोजना के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया कि परियोजना से विकास कम और विनाश ज्यादा होना स्वाभाविक है, परन्तु सामरिक दृष्टि एवं देश की सुरक्षा के मध्यनजर प्रस्तावित परियोजना का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है। परियोजना के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के बदले प्रतिकर का भुगतान कर रहित किया जाय। श्री भण्डारी द्वारा मांग की गयी कि ग्राम रानौं की अधिग्रहीत की जानी वाली सिंचित एवं उपजाऊ भूमि का प्रतिकर मुआवजा, जिस प्रकार गौचर – भटट्नगर में दिया जा रहा है, उसी के अनुरूप दिया जाय, क्योंकि भटटनगर तथा रानौं की भूमि समानान्तर पर स्थित हैं।

7. जनसुनवाई में पत्रकार बन्दुओं की ओर से श्री महिपाल सिंह गुसाई जी, सम्पादक राष्ट्रीय सहारा द्वारा मांग की गयी कि स्थानीय प्रभावित कास्तकारों की मांगों के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत होने पर ही रेल परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय और जनता को विश्वास में लेते हुए ही रेल परियोजना का निर्माण कार्य किया जाय, पर बल दिया गया।

8. जनसुनवाई के दौरान श्री महेन्द्र कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य, कालेश्वर द्वारा स्थानीय प्रशासन, रेल विकास निगम के उपस्थित अधिकारियों से प्रस्तावित परियोजना के

क्रमशः –10 –

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

उप जिलाधिकारी
तहसील पोखरी

अपर जिलाधिकारी
पौड़ी

प्रभावित कास्तकारों के परिवारों को रोजगार के अवसर सृजित किये जाने तथा उचित प्रतिकर की स्थिति स्पष्ट किये जाने की मांग की गयी।

9. जनसुनवाई में श्री राजबर सिहं कण्डारी, ग्राम भट्टनगर द्वारा प्रभावित परिवारों के प्रत्येक पारिवारिक सदस्यों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर रोजगार प्रदान किये जाने तथा उचित प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया। श्री कण्डारी द्वारा ग्राम भट्टनगर तथा रानौं के बाजार भूमि दर में एकरूपता लाये जाने का निवेदन किया गया और परियोजना प्रभावित स्थानीय प्राचीन धरोहर मन्दिर, पनघट, मरघट, जो कि क्षेत्रीय जनता की आस्था से जुड़े हुए हैं, का रेल निर्माण से पूर्व अन्यत्र स्थान पर पुर्नस्थापित किये जाय। इसके अतिरिक्त श्री कण्डारी द्वारा वन पंचायत की भूमि को परियोजना के निर्माण हेतु लीज पर लिये जाने और बाद में वन पंचायत को वापस किये जाने की मांग की गयी, जिसका स्थानीय कास्तकारों द्वारा उपयोग किया जा सकें।

श्री कण्डारी द्वारा यह भी मांग की गयी कि प्रभावित परिवारों की निजी नाप भूमि पर फलदार वृक्ष आदि हैं, का मूल्यांकन कर उचित प्रतिकर भुगतान किया जाय और प्रभावित क्षेत्रों में रेल विकास निगम की ओर से तकनीकी संस्थान खोले जाने पर बल दिया गया है, जिससे स्थानीय प्रभावित परिवारों को रोजगार के साथ ही तकनीकी संस्थान में प्रवेश में वरियता दी जाय।

10. श्री विजयबर्धन लिंगवाल, अध्यक्ष, व्यापार संघ, गौचर द्वारा सर्वप्रथम जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों एवं प्रभावित क्षेत्र के उपस्थित कास्तकारों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है और तत्पश्चात् उपस्थित प्रभावित कास्तकारों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम – 2013 में उल्लिखित प्राविधानों से अवगत कराया गया है। श्री लिंगवाल जी द्वारा रेल विकास निगम के अधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी कि उल्लिखित अधिनियम के तहत परियोजना से प्रभावित कास्तकारों के परिवारों को निर्धारित बाजार दर के आधार पर नगरीय क्षेत्र के 2 गुना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 04 गुना प्रतिकर भुगतान किया जाय और परियोजना से प्रभावित परिवारों के शिक्षित बेरोजगारों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान किये जाये, साथ ही परियोजना से प्रभावित परिवारों को रू0–3,000.00 प्रतिमाह की धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।

परियोजना से प्रभावित कास्तकारों, जिनके भवनों के नक्शे पास नहीं हुए हैं, की बाध्यता समाप्त करते हुए उचित प्रतिकर भुगतान की व्यवस्था कराई जाय और रेलवे ट्रैक के समीप आवागमन हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जाय। रेल परियोजना से प्रभावित पूरे क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र न मानते हुए ग्रामीण क्षेत्र के तहत स्थानीय कास्तकारों को प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जाय। श्री लिंगवाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनवार्सन अधिनियम – 2013 के सम्बन्ध में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक चर्चा की और प्रस्तावित रेल परियोजना के निर्माण में अपनी सहभागिता दिये जाने की मांग जनप्रतिनिधियों से करते हुए शीघ्रता से रेल परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की मांग की गयी।

11. श्री दिनेश अकेला, प्रतिनिधि द्वारा भी अपने विचार सुनवाई के दौरान रखते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित रेल परियोजना के निर्माण कार्य में किसी के द्वारा कोई विरोध न किये जाने का आश्वासन दिया गया।

क्रमशः –11 –

उप जिलाधिकारी
दुगड्डा

उप जिलाधिकारी
तहसील पौखरी

अपर जिलाधिकारी

12. श्री भीमसिहं भण्डारी, जनप्रतिनिधि द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियो/कर्मचारियों को हार्दिक अभिनन्दन करते हुए अवगत कराया गया कि ग्राम भट्टनगर, जिनकी भूमि रेल परियोजना से प्रभावित हो रही है, द्वारा उठाई गई मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने तथा शासनादेश निर्गत कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

श्री भण्डारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ग्राम भट्टनगर के पूरे चारागार, जो रेल विकास निगम के रेलवे ट्रैक द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम भट्टनगर में चारा बैंक की स्थापना किये जाने की मांग की गयी और परियोजना से प्रभावित कास्तकारों को ग्रामीण क्षेत्रों की परिधि अन्तर्गत लाते हुए 4 गुना अधिक प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की अपेक्षा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

13. श्री जगदीश प्रसाद शैली द्वारा उपस्थित अधिकारी/जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अवगत कराया गया कि परियोजना के सर्वे के समय सर्वे टीम द्वारा भूमि के बदले भूमि अथवा प्रतिकर दिया जाना,के सम्बन्ध में बताया गया, का उपस्थित अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

14. श्री अनुसूया प्रसाद जोशी, सांसद प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के बीच अपने विचार रखते हुए जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति पर सन्तोष व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गयी कि वास्तविक प्रभावित कास्तकारों को ही उचित मुआवजा दिया जाय तथा प्रभावित परिवारों के शिक्षित बेरोजगारों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवा में लिये जाने की अपेक्षा की गयी।

15. श्री केशर सिहं भण्डारी, ग्राम बन्दरखण्ड सन् 1922 में पैदा हुए तथा 1962 युद्ध में बाड़ाहोती सीमा पर रहे व RPF मुरादाबाद रेल डिवीजन में कार्य किया। 96 वर्ष के बुजर्ग व्यक्ति ने अति उत्साह से रेल परियोजना का स्वागत किया। ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में आयोजित जनसुनवाई में रेल विकास निगम का सार्थक कदम बताते हुए अवगत कराया गया कि जिस प्रकार चीन द्वारा हमारी सीमा तक रेल लाईन का निर्माण किया गया है, उसी प्रकार सामरिक दृष्टि से इस प्रस्तावित रेल परियोजना का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

16. इसके अतिरिक्त ग्राम रानौं के प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई के दौरान यह मांग की गयी कि परियोजना से प्रभावित संयुक्त खातेदरानों की भूमि का प्रतिकर मौके पर कब्जे के आधार पर वास्तविक खातेदारों को प्रतिकर का भुगतान किया जाय। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, चमोली द्वारा उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग एवं पोखरी को वास्तविक स्थिति के आधार पर ही सही खातेदार को प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही हेतु अभिलेख तैयार करवाये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि वास्तविक पात्र/प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान किया जा सके और प्रतिकर भुगतान में आसानी रहे।

17. जनसुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों का किस प्रकार से निस्तारण/समाधान किया जा सकता है, अपर जिलाधिकारी, चमोली द्वारा श्री विजय डंगवाल, अपर महाप्रबन्धक, भूगर्भ, रेल विकास निगम से अपेक्षा की गयी है, जिस पर अपर महाप्रबन्धक द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के बारे में भू–गर्भीय दृष्टिकोण को विस्तारपूर्वक बताया गया और जनप्रतिनिधियों को विश्वास दिलाया गया कि रेल विकास निगम द्वारा भू–वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रेलवे ट्रैक द्वारा निर्माण अति सुरक्षित सुरंग बनाकर किया जायेगा और सभी सुरक्षात्मक उपायों का परियोजना निर्माण में ध्यान में रखते हुए तकनीकी कार्य किये जायेगें।

क्रमशः –12 –

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

उप जिलाधिकारी
तहसील पोखरी

अपर जिलाधिकारी

18. जनसुनवाई मे उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग /पोखरी द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों को आश्वास्त किया गया कि उनकी मांग पर गहनता से विचार किया जायेगा।

19. जनसुनवाई के अन्त में अपर जिलाधिकारी,चमोली, जिनके द्वारा जनसुनवाई की अध्यक्षता की गयी, उपस्थित सभी अधिकारियों एवं प्रभावित क्षेत्र के उपस्थित कास्तकारों का, जिन्होंने जनसुनवाई में इतनी संख्या में अपनी उपस्थित दर्ज कराई एवं प्रतिभाग करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया है और जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई बिन्दुवार मांग/ समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 का सार उपस्थित जनप्रतिनिधियों को बारीकी से बताया गया है। उपस्थित जनप्रतिनिधियों को आश्वास्त किया गया कि इस अधिनियम के तहत परियोजना से प्रभावित होने वाले कास्तकारों को नियमानुसार सम्पूर्ण लाभ प्रदान करते हुए भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। प्रतिकर वितरण के समय समस्त समाघातों की कमी लाने व पुनर्वासन–पुनर्व्यस्थापन योजना बनाते समय जिला कलक्टर की तरफ से पूरा ध्यान रखा जायेगा। रेल विकास निगम द्वारा शतप्रतिशत सुरक्षित एवं भूकम्परोधी तकनीकों से ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूर्ण की जायेगी।

अन्त में उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कास्तकारों का धन्यवाद करते हुए जनसुनवाई का समापन किया गया।

(विवेक प्रकाश)
उप जिलाधिकारी,
कर्णप्रयाग।
उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

(कृष्णनाथ गोस्वामी)
उप जिलाधिकारी,
पोखरी।
उप जिलाधिकारी
तहसील पोखरी
जनपद-चमोली

(डॉ0एस0के0बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी,
चमोली।
अपर जिलाधिकारी
चमोली

126 किमी0 ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIA) रिपोर्ट पर दिनॉक 30.08.2016 को कृष्णनाथ गोस्वामी, उप जिलाधिकारी, पोखरी की अध्यक्षता में एवं डॉ0 एस0के0 बरनवाल, अपर जिलाधिकारी , चमोली की उपस्थिति में राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों व रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ 126 किमी0 ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण से जनपद चमोली के तहसील पोखरी के अन्तर्गत ग्राम सिवाई एवं ग्राम लंगाली के प्रभावित काश्तकारों की प्रभावित होने वाली नाप भूमि के सम्बन्ध में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों,कास्तकारों व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति एवं आहूत जन सुनवाई का कार्यवृत्त।

उपस्थिति – उपस्थित सभी अधिकारियों / सदस्यों की सूची अनुलग्नक – 1 पर है।

दिनॉक 30.08.2016 को उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि उप जिलाधिकारी, पोखरी की अध्यक्षता में व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ0एस0के0बरनवाल, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, चमोली की उपस्थिति में भारत सरकार की ओर से रेल विकास निगम, ऋषिकेश द्वारा प्रस्तावित 126 किमी0 ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन निर्माण हेतु सर्वेक्षण एजेन्सी से प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति (SIA) की रिपोर्ट के आधार पर जनपद चमोली की तहसील पोखरी के ग्राम सिवाई तथा ग्राम लंगाली के प्रभावित काश्तकारों की उपस्थिति में जन सुनवाई सम्पन्न हुई। उप जिलाधिकारी, पोखरी द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित अधिकारियों, कास्तकारों, जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकार बन्दुओं का स्वागत करते हुए श्री जनित शर्मा, वरिष्ठ अभियन्ता, रेल विकास निगम, ऋषिकेश से प्रस्तावित परियोजना से उत्तराखण्ड राज्य के पांच राज्यों में प्रभावित होने वाली वन भूमि, राज्य भूमि एवं नाप भूमि व निर्मित होने वाले पुल, सुरंग एवं स्टेशनों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को उपस्थित कास्तकारों एव जनप्रतिनिधियों के सम्मुख रखने की अपेक्षा गयी है और तत्पश्चात् श्री जनित शर्मा, वरिष्ठ अभियन्ता, रेल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित 126 किमी0 ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन परियोजना के सारबिन्दु अधिकारियों, कास्तकारों एवं जनप्रतिनिधियो के सम्मुख विस्तारपूर्वक निम्नवत् रखा गया है :–

1. 126 किमी0 ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन निर्माण परियोजना का संक्षिप्त इतिहास व विवरण निम्नवत् है।
2. 1927 में सर्वे– छोटी लाईन(NG)बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था।
3. 1996–2000 में बड़ी लाईन (EG)सर्वे नार्दन रेलवे द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
4. भारतीय रेल द्वारा सितम्बर–2011 में रेल विकास निगम लि0 को दिनांक 05.9.2011 को विस्तृत सर्वे रिपोर्ट रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु अधिकृत की गयी।
5. उक्त रेल लाईन का संरेखण (78डिग्री 15'E/79डिग्री 15', 30डिग्री 5'N/30डिग्री 20'N,) के मध्य स्थित है।
6. 125.100 कि0मी0 रेल लाईन के संरेखण का पूरा क्षेत्र ऊंचे पर्वतों एवं गहरी खाईयों व घाटियों के कारण ऊबड़ खाबड़ है।
7. परियोजना क्षेत्र का ऋषिकेश से 400मी0 से कर्णप्रयाग तक समुद्र तल से 800मी0 तक एलीवेशन होगा।

क्रमशः –2 –

उप जिलाधिकारी

8. भारत के साइजमिक मैप के अनुसार समस्त क्षेत्र IV– साइजमिक जोन के अन्तर्गत आता है।

9. राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किनारे सभी स्टेशन स्थित होंगे।

10. भू अधिग्रहण– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के तहत किया गया है।

11. वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत की गयी है।

12. निम्न तालिका के अनुसार रेल लाईन की लम्बाई गुजरना प्रस्तावित है:–

जनपद का नाम	देहरादून	टिहरी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	चमोली	कुल लम्बा0
रे0ला0ल0किमी0	5.971	50.029	32.090	24.700	12.310	125.100

13. मानकों के अनुसार वीरभद्र स्टेशन के अतिरिक्त 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं।

14. स्टेशन के निर्माण हेतु एप्रोचेबल एवं न्यूनतम 01 किमी0 लम्बा खुला स्थान आवश्यक है।

15. 10–15 किमी0 की दूरी पर रेलवे स्टेशन होना आवश्यक है।

16. ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन की मुख्य विशेषता यह है कि पूरी लाईन का 83.92% (104.990किमी0) 16 सुरंगों से होकर गुजरती है।

17. भूमि अधिग्रहण हेतु न्यूनतम क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

18. ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन के निर्माण हेतु 784.7601 है0 भूमि का प्रत्यावर्तन/अधिग्रहण प्रस्तावित है। इस भूमि पर रेलवे ट्रैक, भूमिगत सुरंग, पुल, स्टेशनयार्ड/स्टेशन बिल्डिंग/प्लेट फार्म/ पहुंच मार्ग/मलवे निस्तारण/यात्रा सुविधा हेतु प्रस्तावित है। इसमें से 327.5683 है0 भूमिगत सुरंग निर्माण के लिये है। इस प्रकार केवल 457.1918 है0 भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा। जिसमें 169.514 है0 निजी नाप भूमि एवं 109.458 है0 उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व भूमि व 178.2218 है0 आरक्षित वन भूमि सम्मिलित है। आरक्षित वन भूमि में से 63.422 है0 देहरादून एवं 114.799 है0 टिहरी के प्रभावित हो रहे हैं।

19. वीरभद्र स्टेशन परियोजना का शुरूआती स्टेशन है, जिसके लिए 63.422 है0 आरक्षित वन भूमि प्रस्तावित की गयी है।

20. प्रस्तावित 169.514 है0 निजी नाप भूमि का अधिग्रहण में कुल 45 गांव सम्मिलित हैं, जो कि चार जनपदों टिहरी के–13 गांव, पौड़ी के–17 गांव रूद्रप्रयाग के–10 एवं चमोली के–05 गांव स्थित हैं।

21. इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में 11 स्टेशन हैं, जो 4 जनपदों के 07 तहसीलों के अन्तर्गत 169.151 है0 नाप भूमि व 104.152 है0 उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व भूमि तथा 5.695 है0 अन्य राजकीय विभागों लो0नि0वि0, खेल विभाग,तकनीकी विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग आदि की भूमि सम्मिलित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रमशः –3 –

उप जिलाधिकारी
तहसील खोखरी

जनपद	तहसील	ग्रामों की संख्या	नाप भूमि (है0में)	उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व भूमि (है0में)	अन्य राजकीय विभागों की भूमि (है0में)
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	4	9.745	7.701	–
	देवप्रयाग	9	49.915	13.209	0.265
पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी	3	4.337	11.528	0.432
	श्रीनगर	14	32.943	23.770	4.998
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	10	23.798	23.715	–
चमोली	कर्णप्रयाग	2	19.566	9.986	–
	पोखरी	3	28.837	14.243	–
कुल योग	7 तहसील	45	169.151	104.152	5.695

22. ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन के निर्माण हेतु पूर्व में उत्तर रेलवे द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 125.09 किमी0 हेतु 2010–2011 में भारत सरकार द्वारा रू0–4295.3 करोड़ स्वीकृत किया गया था।
23. सुरंगों की लम्बाई में वृद्धि होने के कारण परियोजना की लागत में रू0–16217 करोड़ की वृद्धि हुई है।
24. तकनीकी मानक के अनुसार 1676 मि0मी0 ब्रॉड गेज सिंगल लाईन है।
25. सवारी गाड़ी की अधिकतम गति 100 कि0मी0 प्रतिघंटा है।
26. मालगाड़ी की अधिकतम गति 60 कि0मी0 प्रतिघंटा है।
27. रेल लाईन में घुमावों की संख्या–50 है।
28. पुलों की सं0–16 है, सबसे लम्बे पुल की लम्बाई 500मीटर तक है।
29. ROB/RUB-02
30. 16 सुरंगे 83.92% (104.990किमी0) से होकर गुजरती है, जिसमें से देवप्रयाग से जनासू गंगा क्रासिंक के मध्य T8 में 15.1 कि0मी0 सुरंग लिंक होगी।
31. वीरभद्र सहित कुल 13 स्टेशन होंगे।
32. 04 जिलों के 28 प्रस्ताव अधिग्रहण के माह मई 2015 में प्रस्तुत किये गये।
33. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन सर्वे (SIA) में 18 लोग सम्मिलित थे।
34. तहसील कर्णप्रयाग के ग्राम भट्टनगर के 488 खसरे में 19.566 है0 भूमि प्रभावित हो रही है।
35. तहसील पोखरी के ग्राम रानों में 107 खसरे में 2.496 है0 भूमि प्रभावित हो रही है।
36. ग्राम सिवाई के 790 खसरे में 24.745 है0 भूमि प्रभावित हो रही है।
37. ग्राम लंगाली के 31 खसरे में 1.596 है0 भूमि प्रभावित हो रही है।
38. ग्राम कालेश्वर में केवल उत्तराखण्ड सरकार की 1.113 है0 भूमि प्रभावित हो रही है।

कमशः –4 –

उप जिलाधिकारी
तहसील पोखरी

39. जनपद चमोली में माह मई 2015 में भू अर्जन के प्रस्ताव प्राप्त हुए।
40. दिनांक 25.02.2016 को सामाजिक समाघात अध्ययन समिति का गठन किया गया।
41. दिनांक 23.04.2016 को अधिसूचना जारी की गयी।
42. दिनांक 24.04.2016 को समाचार पत्रों में अधिसूचना का प्रकाशन हुआ।
43. दिनांक 08 अगस्त–2016 को जनसुनवाई की अधिसूचना जारी की गयी।
44. दिनांक 08 अगस्त–2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ।
45. दिनांक 29.08.2016 को स्थान गौचर एवं दिनांक 30.08.2016 को स्थान सिवाई में जनसुनवाई की तिथि नियत की गयी है।

सारबिन्दुओं पर चर्चा के पश्चात् हे0न0बहु0, गढवाल विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र एवं समाज कार्य के शोध छात्र, जिनके द्वारा उक्त परियोजना के निर्माण हेतु तहसील कर्णप्रयाग के ग्राम भट्टनगर, कालेश्वर तथा तहसील पोखरी के ग्राम रानौं, लोदला सिवाई एवं लंगाली के प्रभावित कास्तकारों की नाप भूमि का सर्वेक्षण कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति (SIA) की रिपोर्ट तैयार की गयी है, के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिहं, शोध छात्र, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर द्वारा प्रभावित काश्तकारों को प्रस्तावित **परियोजना के निर्माण से पड़ने वाले प्रभाव, होने वाले लाभ एवं उन्हें दूर करने के उपायों** को विस्तृत रूप से उपस्थिति कास्तकारों एवं जनप्रतिनिधियों को बताया गया, जो निम्नवत् है। :–

(1) <u>ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावितों पर पड़ने प्रभावः–(समाघात)</u>

1. सामाजिक समाघात के दौरान प्रभावित क्षेत्र के परिवारों का मानना है कि रेलवे में उनकी भूमि जाने के कारण कृषि, जो कि उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, इससे उनके जीवन–यापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
2. सामाजिक समाघात के दौरान प्रभावितों का कहना है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों जैसे–जल, जंगल, जमीन, वायु पर परियोजना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
3. परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में परियोजना के निर्माण से प्राकृतिक जलस्त्रोत, पेयजल लाईनें, विद्यालय भवन, धार्मिक स्थल, सड़कें, खेल के मैदान, चारागाह पशुशाला, सिंचाई के साधन इत्यादि प्रभावित होंगे।
4. परियोजना निर्माण से जहां एक तरफ आवागमन सुगम होगा, वहीं दूसरी तरफ इससे प्रभावितों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
5. परियोजना के पूर्ण के पश्चात् यहां पर प्रवासी कार्य शक्ति के आने से स्थानीय लोगों के रोजगार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
6. सुरंग आधारित परियोजना होने के कारण सुरंगों के निर्माण के दौरान निकलने वाले धूल, मिट्टी, कंकड़ पत्थर की उचित डम्पिंग जोन न बनने पर वहां के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
7. परियोजना के निर्माण से सुरंग बनने की स्थिति में उनके ऊपर बसे गांवों में भू–धंसाव की स्थिति हो सकती है।
8. परियोजना के निर्माण से सुरंग बनने से यहां पर स्थित भू–जलस्रोत समाप्त हो सकते हैं।

क्रमशः –5 –

उप जिलाधिकारी
पोखरी

9. परियोजना के निर्माण कार्य से निजी स्तर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत उनकी भूमि आने से भविष्य में उनकी जमीनों की कीमत बढ़ेंगे, जिला प्रशासन को भू–माफियों की सकियता न होने की दशा में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता होगी।
10. जनपद चमोली भूगर्भिय दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है, जो कि जोन–5 में आता है, जिसमें भूकम्प जैसी आपदा आने की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं।

(2) <u>परियोजना से लाभः–</u>

1. वर्तमान में परियोजना भले ही आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक लाभकारी न हो,लेकिन भविष्य की दृष्टि से यह अधिक लाभकारी सिद्ध होगी।
2. परियोजना के पूर्ण होने से जहां एक ओर आवागमन सुगम एवं सुरक्षित होगा, वहीं दूसरी और रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय जनता के जीवन स्तर पर सुधार होगा।
3. पलायन को रोकने में भी यह परियोजना सहायक होगी।
4. सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से इस परियोजना का बहुत ही महत्व है, जिसकी लागत एवं लाभ के आधार पर आंकलन नहीं किया जा सकता है।
5. समाज एवं क्षेत्र के विकास के लिए सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस तरह की परियोजनाओं को लागू करें, जिससे कि क्षेत्र का समग्र विकास हो।
6. लोक हित एवं जनकल्याण के लिए इस तरह की परियोजना को प्रारम्भ करना आवश्यक है।
7. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित तीर्थ स्थलों, जिसमें चार धाम (यमनोत्री,गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम), हेमकुण्ड साहिब व फूलों की घाटी सम्मिलित हैं, तक पहुंच को सुगम बनाना, नये व्यापार केन्द्रों को जोड़ना और पिछड़े क्षेत्रों का विकास कर वहां रहने वाले निवासियों को सस्ती व कम समय लेने वाली अबाधित यातायात सुविधा उपलब्ध कराना परियोजना का उद्देश्य है।
8. वर्षा ऋतु में बार–बार होने वाले भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग अवरूद्ध होने से यातायात बाधित होने पर यह परियोजना उत्तम विकल्प सिद्ध होगा।
9. इसके अतिरिक्त इस रेल लिंक से साहसिक पर्यटन जैसे राफ्टिंग, ऐरो स्पोर्टस एवं स्कींइग जैसे खेलों में भाग लेने हेतु पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना और वे कम व्यय कर, कम समय में सुगमता से आ जा सकेंगे।
10. बरसात के मौसम में अधिकांश सड़कें बन्द होने से आवश्यक मूलभूत वस्तुओं जैसे खाद्याय सामग्री, गैस, ईधन फल आदि की आपूर्ति बाधित हो जाती है, इस परियोजना के निर्माण से इस तरह की समस्याओं से निजात मिलेगी।

क्रमशः –6 –

उप जिलाधिकारी
तहसील पोखरी

(3) <u>समाघात कमी करने के उपायः—</u>

1. जिला प्रशासन एवं रेल विकास निगम प्रबन्धन को प्रभावितों के समक्ष आने वाली समस्या के आधार पर कहा जा सकता है कि जिन प्रभावित लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती—बाड़ी है, उनकी भूमि अधिग्रहण करने पर उनकी परियोजना में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाय एवं उनको उनकी भूमि का बाजार दर के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिये एवं परियोजना के निर्माण के पश्चात् उनको परियोजना निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में सम्मिलित करके उनके लिए रोजगार की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने की स्थिति में निर्माण के दौरान तकनीकी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए उनका अधिक से अधिक उपयोग करके स्थानीय स्तर पर वहां के स्थानीय संसाधनों जल, जंगल, जमीन, वायु को सुरक्षित रखने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।
3. प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, सिंचाई विभाग, जल संस्थान विभाग, विद्युत विभाग, सड़क परिवहन विभाग, जिला विकास विभाग, जिला चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि द्वारा कार्य किया जाना आवश्यक है।
4. इन विभागों के द्वारा सभी तकनीकी पहलूओं को ध्यान में रखकर विभाग की दृष्टि से प्रबन्धन योजना बनाई जाय।
5. परियोजना से सम्बन्धित हुए नुकसान की भरपाई हेतु विभिन्न विभागों द्वारा इस हेतु कार्य योजना तैयार करते हुए परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए।
6. परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वप्रथम परियोजना के दौरान हुए नुकसान का आंकलन पश्चात् उस क्षेत्र में परियोजना प्रस्ताव के अनुसार निर्माण कार्य किया जायेगा और उससे सम्बन्धित विभागीय सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जिलाधिकारी महोदय को बचनबद्धता लेनी होगी।
7. रेल विकास निगम अपने परियोजना के डी0पी0आर0 बनाते समय समस्त समाघात निर्वारण उपायों को शामिल करेगा।
8. परियोजना प्रस्तावित क्षेत्रों में परियोजना निर्माण के दौरान ही जहां पर कार्य किए जाने हैं, वहां पर कचरा प्रबन्धन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे स्वच्छता एवं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके।
9. इसके अतिरिक्त सुरंग निर्माण के दौरान तकनीकी पक्ष को इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि ऐसे बिस्फोटक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए कि जिससे कम से कम नुकसान और तकनीकी तौर पर नवीनतम तकनीक पर आधारित मशीनों का उपयोग करते हुए अधिक नुकसान से बचने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
10. परियोजना पर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसके लिए तकनीकी प्रबन्धन का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

इसके पश्चात् **जन सुनवाई** में परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों के जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित प्रभावित काश्तकारों को अपनी — अपनी समस्याओं को उपस्थित अधिकारियों के सम्मुख रखे जाने की अपेक्षा की गयी है, जो निम्नवत् इस प्रकार से हैं:—

क्रमशः —7—

उप जिलाधिकारी
तहसील पोखरी

(1) जनसुनवाई में सर्वप्रथम श्री गजपाल सिहं वर्त्वाल, सदस्य जिला पंचायत, सिवाई जनपद चमोली द्वारा उपस्थित अधिकारियों, प्रभावित काश्तकारों की बड़ी संख्या में उपस्थित होने पर आभार व्यक्त किया गया है और रेल विकास निगम द्वारा परियोजना निर्माण में किये जा रहे क़ार्यो की प्रशंसा की गयी। श्री वर्त्वाल जी द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों तथा रेल विकास निगम के अधिकारियों से ग्राम सिवाई तथा लंगाली की रेल विकास परियोजना से प्रभावित होने वाले काश्तकारों को भूमि, भवन, फलदार पेड़ों का मूल्यांकन करवाते हुए उचित प्रतिकर भुगतान किये जाने पर भूमि पर कब्जा किये जाने बात कही गयी और जनसुनवाई में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाये जाने वाले शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने की अपेक्षा की गयी।

उक्त परियोजना निर्माण से जिन प्रभावित लोगों की भूमि प्रभावित हो रही है तथा जिनकी आजीविका का मुख्य साधन खेती – बाड़ी है, उनकी परियोजना में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाय एवं उनको उनकी भूमि का बाजार दर के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए एवं परियोजना के निर्माण के पश्चात् उनको परियोजना निर्माण से सम्बन्धित कार्यो में सम्मिलित करके उनके लिए रोजगार की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

(2) श्री ओ0पी0मालगुडी, वरिष्ठ प्रबन्धक, रेल विकास निगम, ऋषिकेश द्वारा प्रस्तावित 126 किमी0 ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण के उद्देश्यों तथा परियोजना कहां–कहां से, किन–किन स्थानों से होकर तहसील पोखरी के ग्राम सिवाई तथा लंगाली, जो प्रस्तावित रेल लाईन का अन्तिम स्टेशन है, के बारे में विस्तारपूर्वक उपस्थित कास्तकारों एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया और प्रभावित काश्तकारों से जन सहयोग की अपेक्षा की गयी, जिससे परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्रता से प्रारम्भ किया जा सकें।

(3) जनसुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी, चमोली द्वारा श्री विजय डंगवाल, अपर महाप्रबन्धक, रेलवे विकास बोर्ड से कास्तकारों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों का किस प्रकार से निस्तारण /समाधान किया जा सकता है, के निस्तारण/समाधान के सम्बन्ध में अपेक्षा गयी है, जिस पर अपर महाप्रबन्धक द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों को प्रस्तावित परियोजना के बारे में विस्तार से बताया गया और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया कि रेल विकास निगम द्वारा भू–वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जायेगा और सभी सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी आधार पर परियोजना निर्माण के कार्य किये जायेगें। श्री डंगवाल द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों को बताया गया कि रेल विकास निगम द्वारा परियोजना के निर्माणं कार्य में भू–धंसाव, पेजयल, कनेक्टीविटी आदि का समुचित ध्यान रखा जायेगा, जिससे किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न न हो सकें। श्री डंगवाल द्वारा परियोजना में निर्मित की जानी वाली सुरंगों के बारे में विस्तारपूर्वक अपने विचारों को स्थानीय भाषा (गढवाली में) में उपस्थित कास्तकारों एवं जनप्रतिनिधियों के सम्मुख रखा गया, जिसकी स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रशंसा की गयी।

(4) इसके पश्चात उप जिलाधिकारी, पोखरी द्वारा जन सुनवाई में परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों के जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित प्रभावित काश्तकारों को अपनी–अपनी समस्याओं से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसमें **श्री मदन सिहं रावत,** द्वारा सर्वप्रथम जनसुनवाई में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी, रेल विकास निगम के

कमशः – 8 –

उप जिलाधिकारी
पोखरी

अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में उपस्थित प्रभावित कास्तकारों की प्रशंसा करते हुए **ग्राम सिवाई की ओर** से अपने विचार रखे गये और प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित परिवारों के हितों का संरक्षण किये जाने की मांग दोहराई गयी और प्रभावित परिवार, जिनकी भूमि रेल विकास निगम द्वारा परियोजना निर्माण में अधिग्रहीत की जा रही है, की मांगों/समस्याओं को विस्तारपूर्वक रखा गया। जनसुनवाई में उपस्थित अपर जिलाधिकारी, चमोली, एवं उप जिलाधिकारी, पोखरी के सम्मुख परियोजना से प्रभावित परिवारों को रेल विकास निगम द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के सर्किल दर से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी और तत्पश्चात् श्री रावत जी द्वारा श्री सुरेन्द्र सिहं विष्ट, संघर्ष समिति, ग्राम सिवाई के भू–स्वामियों /प्रभावित परिवारों की ओर से उठाये गये बिन्दुओं/आपत्तियों को निम्नवत् रखा गया :–

1– रेल विभाग को दी जाने वाली भूमि का मूल्य / प्रतिकर, रू0–15.00 लाख प्रति नाली से कम न दिया जाय। विभाग को मालूम है कि रेलवे में सबसे अधिक सिवाई गांव की जमीन कटी/अधिगृहीत की गयी है। भूमिहीन की दशा में उचित मूल्य मिलने पर अन्यत्र जमीन खरीद सकें।

2– राजस्व विभाग द्वारा कम्प्यूटराईज खतौनियों में खेत नम्बर रकवा आदि गलत अंकित किया गया है, का स्थलीय निरीक्षण कर संशोधित किया जाय।

3– रेलवे विभाग द्वारा पूर्व में कतिपय आवासीय भवनों को सीमांकन में लिया गया था, ग्रामीणों के विरोध वार्ता के बाद भवनों को मुक्त किया गया है, परन्तु राजस्व विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण गणना में उक्त भवनों को लिया गया है। इसलिए उक्त आवासीय भवनों को अधिग्रहण से मुक्त रखा जाय।

4– कम से कम भूमि अधिगृहीत की जाय और डंपिग भूमि गांव को आवंटित की जाय।

5– प्रत्येक प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को रेल सेवा में सेवायोजित किया जाय।

6– रेल सेवा सुचारू होने के उपरान्त प्रभावित परिवारों को ग्राम सिवाई रेलवे स्टेशन पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों यथा स्टॉल, दुकान, फड़, कैन्टीन आदि को आवंटन की वरियता दी जाय।

7– परम्परागत रास्तों की सुविधा को यथावत् रखा जाय, जिससे भविष्य में असुविधा न हो।

8– बिजली की आपूर्ति बाधित न की जाय।

9– पेजयल व्यवस्था को किसी भी प्रकार से बाधित व छेड़खानी न की जाय।

10– सम्पूर्ण ग्राम सिवाई को भूमिहीन की दशा में आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाय, जिससे अन्य विभागों में प्रवेश की सुविधा मिल सकें।

उपरोक्त सभी मांगों/बिन्दुओं की पूर्ति के उपरान्त ही भूमि की रजिस्ट्री की प्रकिया हेतु समस्त प्रभावित परिवार सहमत होगें।

(5) जनसुनवाई के दौरान श्री संजय सिहं रावत, ग्राम सिवाई द्वारा सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ0 शिव कुमार बरनवाल, अपर जिलाधिकारी, चमोली एवं उप जिलाधिकारी, पोखरी, तहसीलदार पोखरी एवं रेल विकास निगम के उपस्थित अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और युवा बेरोजगार की समस्या के अनुरूप परियोजना से प्रभावित परिवारों, जिनकी कृषि भूमि रेल परियोजना निर्माण के

क्रमशः — 9 —

उप जिलाधिकारी
तहसील / पोखरी

लिए अधिग्रहण की गयी है, के प्रत्येक परिवारिक सदस्यों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में सेवायोजित किये जाने और ग्राम सिवाई की प्राकृतिक सुन्दरता पर किसी प्रकार से छेड़–छाड़ न किया जाय तथा उसे अपने मूल रूप में ही रखा जाय, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों को सुविधा दी जाय, सम्पर्क मार्गो को यथावत् रखे जाने तथा क्षेत्रान्तर्गत तकनीकी संस्थान खोले जाय। तकनीकी संस्थाओं में स्थानीय युवकों को प्रवेश में वरियता दी जाय और परियोजना से प्रभावित परिवारों की भूमि / भवन को आवश्यकता के अनुरूप ही अधिग्रहण किया जाय। परियोजना निर्माण से जिन प्रभावित परिवारों का विस्थापन किया जाना है, उन्हें पर्याप्त समय दिया जाय, जिससे कि प्रभावित परिवार समय से अपने विस्थापन की कार्यवाही कर सकें और प्रभावित परिवारों को भूमि/ भवन का उचित प्रतिकर भुगतान दिया जाय, की मांग रखी गयी।

(6) श्री भवान सिहं, ग्राम सिवाई, श्री सन्दीप चौधरी, ग्राम सिवाई तथा श्री दलवीरसिहं राणा ग्राम सिवाई द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित प्रशासन तथा रेल विकास निगम के अधिकारियों का स्वागत किया गया है और तत्पश्चात् अवगत कराया गया कि परियोजना से प्रभावित काश्तकारों, जो कि कृषि पर ही निर्भर हैं, का उचित दर पर प्रतिकर भुगतान किया जाय तथा संघर्ष समिति द्वारा दिये गये मांग पत्र में उल्लिखित मांगों पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों, रेल विकास निगम के अधिकारियों से अपेक्षा/ अनुरोध किया गया। यह भी मांग रखी गयी कि जिस समय रेल विकास निगम द्वारा प्रभावित परिवारों के खेतों की सर्वे की गयी, उस समय प्रभावित परिवारों की उपजाऊ फसल को क्षति पहुचाई गई, जिसका मुआवजा प्रभावित परिवारों को नहीं दिया गया। ग्राम में अवस्थित मन्दिर, मरघट, पनघट आदि का समुचित संरक्षण किया जाय । परियोजना से प्रभावित ऐसे परिवारों, जिन्हें अन्यत्र विस्थापित होना है, का विस्थापन हेतु पर्याप्त समय दिया जाय और ग्राम सिवाई में शिक्षा विभाग के भवन, जो कि जीर्ण – शीर्ण अवस्था में है, का पुर्ननिर्माण किये जाने की मांग की गयी।

(7) श्री सुरेन्द्र सिहं कण्डारी, ग्राम लंगाली द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए ग्राम लंगाली के प्रभावितों परिवारों की ओर से एक संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि :–

1– जिस खेत में निशान या खम्बा लगा है, क्या वह खेत पूरा जायेगा या नहीं, अगर जायेगा तो कितना, की जानकारी प्रभावित कास्तकारों को दी जाय।

2– निशान से कितनी दूरी पर लिया जायेगा, के सम्बन्ध में अवगत कराया जाय।

3– सर्किल रेट क्या है और रेल विभाग प्रति नाली कितना देगा।

4– रेलवे वालों ने जो खेत नम्बर व नाली ली है, वो किस आधार पर लिया गया है। जैसा कि मेरा एक खेत 18 नाली का है और उसके आधे में रेलवे वालों का चिह्न है, क्या वह खेत पूरा जायेगा या नहीं ।

5– खतौनी के हिसाब से व रेलवे वालों के हिसाब से तो हमारी जमीन अधिक जा रही है, जिसकी खतौनी की नकल मेरे पास है और खेत नम्बर, जा रहे है, उनका नम्बर भी है, उस हिसाब से तो जोड़ने पर आधा हो रहा है।

6– क्या अधिक जमीन जाने वालों को नौकरी भी है, या नहीं ।

क्रमशः — 10 —

उप जिलाधिकारी

7— रेलवे वालों के चिह्न के बाद जो हमारी जमीन बचेगी, लेकिन पता चला कि बाद में उन्होंने वो भी ले लिया है और कहेगें कि पहले हमने ले लिया है, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

8— रेल लाईन का जो पिल्लर है, क्या उसे लास्ट सीमा माना जायेगा तथा उससे भी आगे लिया जायेगा।

9— रेल लाईन में जो भी भूमि ली गई है, उपजाऊ एवं तलाऊ है, का उचित प्रतिकर भुगतान किये जाने की मांग की गयी।

(8) श्री दर्शन सिहं ग्राम लंगाली द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित प्रशासन तथा रेल विकास निगम के अधिकारियों का स्वागत करते हुए ग्राम लंगाली के प्रभावित परिवारों की ओर से एक संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त मांग पत्र पढ़कर सुनाया गया, मांग की गयी है कि रेल विभाग द्वारा कास्तकारों का आधा खेत छोड़ा गया तथा आधा खेत लिया गया है, पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(9) श्रीमती मुन्नी देवी, प्रधान ग्राम पंचायत सिवाई, श्रीमती लक्ष्मीदेवी, प्रधान ग्राम पंचायत पनाई द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित प्रशासन तथा रेल विकास निगम के अधिकारियों का स्वागत करते हुए परियोजना से प्रभावित काश्तकारों के परियोजना के लिए कम से कम भूमि का अधिग्रहण किया जाय और उचित प्रतिकर का भुगतान किये जाने की अपेक्षा की गयी।

(10) श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत गिरसा द्वारा आहूत जनसुनवाई में उपस्थित प्रशासन तथा रेल विकास निगम के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अवगत कराया कि सामरिक दृष्टि से प्रस्तावित रेल विकास परियोजना का निर्माण किया जाना आवश्यक है, किन्तु प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित परिवारों को भूमि के बदले उचित प्रतिकर तथा समुचित विकास किये जाने की मांग रेल विकास निगम से की गयी, साथ ही श्री चौहान जी द्वारा प्रभावित कास्तकारों की भूमि का प्रतिकर देहरादून में प्रचलित बाजार दर के हिसाब से किये जाने, प्रभावित परिवारों के प्रत्येक परिवारिक सदस्यों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रेल विभाग में सेवायोजित किया जाय। परियोजना के निर्माण में जल, जंगल का पूर्ण संरक्षण किये जाने की मांग की गयी और रेल विकास निगम को उतनी ही भूमि अधिग्रहण करनी चाहिए, जितनी परियोजना को आवश्यकता हो, के अलावा अन्य कृषि भूमि पर किसी भी दशा में अधिग्रहण न किया जाय और विद्यालय भवन, जो कि जीर्ण–शीर्ण स्थिति में, का सबसे पहले पुर्ननिर्माण किया जाय, आने – जाने वाले रास्तों का निर्माण किया जाय और प्रभावित कास्तकारों से अपनी मांगों के निस्तारण के सम्बन्ध में एक संघर्ष समिति गठित करने की अपेक्षा की गयी।

(11) श्री दिगपाल सिहं रावत, ग्राम सिवाई द्वारा आहूत जनसुनवाई में उपस्थित प्रशासन तथा रेल विकास निगम के अधिकारियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि रेल विकास निगम द्वारा रेल परियोजना हेतु **ग्राम सिवाई की जो भूमि अर्जित की जा रही है, उसमें ग्राम सिवाई की जगह सिवई अंकित है, को सही किया जाय** और यह भी मांग की कि गांव के प्रारम्भ की भूमि को कम से कम लिया जाय तथा अन्तिम स्टेशन पर पड़ने वाली भूमि को आवश्यकतानुसार अधिग्रहीत की जाय। जिन प्रभावित परिवारों के भवन अधिग्रहण किये जा रहे हैं, उनके समुचित तरीके से यथास्थान पर विस्थापन किया जाय। गांव के आने–जाने वाले रास्तों, जल श्रोतों को परियोजना निर्माण में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न किया जाय। **कम्प्यूटर खतौनी में काफी त्रुटि है, को सही किया जाय** और

क्रमशः — 11 —

उप जिलाधिकारी

संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत मांग पर तत्काल अमल किये जाने का निवेदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

(12) श्री जगदीश सिह रावत, ग्राम सिवाई द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित प्रशासन तथा रेल विकास निगम के अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के सम्बन्ध में अपनी बात् रखते हुए अवगत कराया गया कि रेल विकास निगम द्वारा प्रभावित परिवारों की जितनी भूमि अर्जित की जा रही है, का सही ढग से मूल्यांकन/सर्वेक्षण की कार्यवाही की जाय, क्योंकि ग्राम सिवाई के 80 प्रतिशत लोग अपनी कृषि भूमि पर ही निर्भर है, इसलिए रेल पटरी के मध्य बिन्दु से 100 मीटर बाहर की भूमि अधिग्रहण किये जाने के स्थान पर 25 मीटर भूमि का ही अधिग्रहण किये जाने का प्राविधान किया जाय। श्री रावत द्वारा अवगत कराया कि जंक्शन स्टेशन ग्राम सिवाई की सिंचित भूमि के स्थान लंगाली (दारतोली)में असिंचित भूमि में निर्मित किया जाय। पर्यावरण की दृष्टि से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्षेत्र में चिकित्सालय स्थापित किया जाना आवश्यक है। परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को देहरादून में प्रचलित बाजार दर के अनुसार ही प्रतिकर भुगतान तथा प्रभावित परिवारों का पुर्नवासन की श्रेणी में रखे जाने की मांग करते हुए धन्यवाद किया गया।

(13) श्रीमती विमला कण्डारी, ग्राम सिवाई, अध्यक्ष, महिला मंगल दल द्वारा अपने विचार रखते हुए अवगत कराया गया कि परियोजना प्रभावित परिवार, जो कि पूर्ण रूप से कृषि पर ही निर्भर है, का उचित दर पर प्रतिकर भुगतान की स्थिति में ही हम समस्त ग्रामवासी सहमत होगें अन्यथा ग्राम सिवाई की महिलाओं द्वारा परियोजना के पुर्नजोर विरोध करते हुए धरना–प्रदर्शन की कार्यवाही की जायेगी।

(14) जनसुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों का किस प्रकार से निस्तारण/समाधान किया जा सकता है, के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, चमोली द्वारा श्री ओ0पी0मालगुडी, वरिष्ठ प्रबन्धक, रेलवे विकास बोर्ड से ग्रामवासियों को विस्तार से बताने की अपेक्षा गयी है, जिस पर अपर महाप्रबन्धक द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों को प्रस्तावित परियोजना के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित परिवारों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार प्रतिकर भुगतान रेल विभाग द्वारा किया जायेगा। ग्राम सिवाई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के समीप है, को जोड़ने के लिए मोटर पुल का निर्माण किया जायेगा। रेल परियोजना में ग्राम सिवाई की कम से कम भूमि का अधिग्रहण हो, पर विचार किया जायेगा। ग्राम सिवाई को यातायात से जोड़ने के लिए मोटर मार्ग, सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जायेगा। डम्पिंग जोन का समतलीकरण करते हुए खेल/क्रीड़ा मैदान के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त रेल विकास निगम द्वारा रेल परियोजना से प्रभावित ग्रामों में विकास कार्यो के तहत चिकित्सा, शिक्षण संस्थान जैसे कार्यो को खोला जायेगा। उपस्थित जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया कि रेल विकास निगम द्वारा भू–वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जायेगा और सभी सुरक्षात्मक उपायों का परियोजना निर्माण में पूरा ध्यान रखते हुए तकनीकी कार्य किये जायेगें।

(15) जनसुनवाई के दौरान श्री कृष्णनाथ गोस्वामी, उप जिलाधिकारी, पोखरी द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों को आश्वास्त किया गया कि उनकी जिन मांगों का निस्तारण जनपद स्तर अथवा प्रशासन स्तर पर किया जाना है, के निस्तारण हेतु ग्राम सिवाई में क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार तथा रेल विकास निगम द्वारा कैम्प लगाया जायेगा, जिसमें सभी प्रभावित परिवारों से अपनी शिकायत दर्ज कर

क्रमशः — 12 —

उप जिलाधिकारी
पोखरी

निस्तारण में अपना सहयोग प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है और दिनॉक 03.09.2016 को स्वयं भी कैम्प में उपस्थित होकर इसकी मॉनीटेरिंग किये जाने हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आश्वास्त किया गया।

(16) जनसुनवाई के अन्त में डॉ0 शिव कुमार बरनवाल, अपर जिलाधिकारी, चमोली द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों एवं प्रभावित क्षेत्र के उपस्थित कास्तकारों का जनसुनवाई में इतनी संख्या में अपनी उपस्थित दर्ज कराने एवं प्रतिभाग करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई बिन्दुवार मांग/समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी। अपर जिलाधिकारी चमोली द्वारा राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों का उप जिलाधिकारी, पोखरी, तहसीलदार, पोखरी को मौके पर जाकर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने, स्वयं भी इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर आर0आर0प्लान तैयार करवाये जाने एवं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए तहसीलदार, उप जिलाधिकारी तथा स्वयं के साथ ही जिलाधिकारी चमोली को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को आश्वास्त किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों को यह भी अवगत कराया गया कि मानकों के अनुसार ही रेल परियोजना के लिए कम से कम भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा और प्रत्येक प्रभावित परिवारों, जिनकी भूमि रेल परियोजना के लिए अधिग्रहीत की जा रही है, के पारिवारिक सदस्यों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर रेल विकास निगम/नियोक्ता एजेन्सी द्वारा नियुक्ति/नियोजित किया जायेगा और प्रभावित परिवारों के बच्चों को नियोजन योग्य बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा मुहैया कराई जायेगी, जिसके लिए रेल विकास निगम के अधिकारियों से अपेक्षा की गयी।

रेलवे स्टेशन के समीप स्थानीय लोगों को फड, स्टाल लगाये जाने में वरियता दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय चमोली के हस्ताक्षरों से रेल विकास निगम को पत्र प्रेषित किया जायेगा और रेल परियोजना के निर्माण से प्रभावित कास्तकारों को प्रतिकर भुगतान किस हिसाब से दिया जायेगा और क्षेत्र के विकास हेतु रेल विकास निगम द्वारा क्या–क्या योजनायें संचालित की जायेगी, के सम्बन्ध में भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के अनुसार अधिनियम को पढ़कर उपस्थित जनप्रतिनिधियों को बारीकी से बताया गया है। उपस्थित जनप्रतिनिधियों को आश्वास्त किया गया कि इस अधिनियम के तहत परियोजना से प्रभावित होने वाले कास्तकारों की पूर्ण सन्तुष्टि पर ही भूमि अर्जन की कार्यवाही की जायेगी।

डॉ0 शिव कुमार बरनवाल, अपर जिलाधिकारी, चमोली ने जनसुनवाई के दौरान रेल विकास निगम के अधिकारियों को ग्राम सिवाई एवं लंगाली में रेल लाईन का निर्माण, ऐसी तकनीकी से किये जाने पर बल दिया गया कि ग्राम सिवाई एवं लंगाली से गुजरने वाली रेल के पटरियों के दोनों ओर स्थानीय कास्तकार अपनी खेती/कृषि कार्य निविर्वाद से रूप से करते रहें, जिससे ग्राम सिवाई तथा लंगाली, जो कि अन्तिम रेलवे स्टेशन है, **को ग्रीन रेलवे स्टेशन के नाम से विकसित किये जाने की अपेक्षा की गयी।**

अन्त में उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कास्तकारों का धन्यवाद करते हुए जनसुनवाई का समापन किया गया।

(कृष्णनाथ गोस्वामी)
उप जिलाधिकारी,
पोखरी।

उप जिलाधिकारी
तहसील पोखरी
जनपद–चमोली